



प्ररूप सं. 6
FORM NO. 6

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics

मृत्यु प्रमाण-पत्र

DEATH CERTIFICATE



(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और
राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the
Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय)

..... तहसील /खण्ड..... जिलाराज्य./संघ राज्य
क्षेत्रका रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is
the register for (local area / local body).....of tahsil / block..... of
District.....of state / Union territory

नाम/Name:लिंग/ Sex

मृत्यु की तिथि/Date of Deathमृत्यु स्थान /Place of death.....

माता का नाम/Name of mother.....

पिता/पति का नाम / Name of Father/Husband

मृतक का मृत्यु के समय का पता

मृतक का स्थायी पता

Address of the deceased at the time of death:

Permanent address of the deceased:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

रजिस्ट्रीकरण सं./Registration No.: रजिस्ट्रीकरण की तारीख / Date of Registration

टिप्पणी/Remarks(if any).....

जारी करने की तारीख / Date of issue:.....जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मुहर /Seal

नोट :- 'बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता' एवं 'माता-पिता का स्थायी पता' के कॉलमों से संबंधित सूचनाएँ 01.01. 2007 से पूर्व लागू नहीं थी।

Note : Informations in respect of the columns "Present address of Parents at the time of birth of the child" and "Permanent address of parents" were not applicable before 01-01-2007.